



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022022-233525
CG-DL-E-16022022-233525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723]
No. 723]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ.743(अ).—केन्द्रीय सरकार, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 16 फरवरी, 2022 को, उस तारीख के रूप में जिसको अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 1 और धारा 106 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, के रूप में नियत करती है।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 743(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby appoints the 16th day of February, 2022 as the date on which the provisions of section 1 and 106 of the said Act shall come into force.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)